न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 97 / 2025(GCMS 2025/408)
(RTI No. 2123524233124(22)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पो.ओ. सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619-41862)

बनाम

उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2025 से तहत उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. रायसिंहनगर के वार्ड संख्या 30 में न्यायिक भवन बनाने के लिए कन्नक निर्माण कम्पनी के "J" शिडयुल मय पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।
2. न्यायिक भवन के लिए बेसमेन्ट (अंडर ग्राउंड) व G+3 मंजिल की निर्माण स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जावे।
3. निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सड़क आमजन के लिए बन्द करके सड़क का निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सड़क के भाग पर निर्माण स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जावे।
4. जिस जगह पर वर्तमान में न्यायिक भवन कन्नक कम्पनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। वह भूमि पूर्व में जिस विभाग को आवंटन थी। उस विभाग की आवंटन प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 97/2025
(GCMS No. 2025/408)

5. राजस्व विभाग की जगह पर न्यायिक भवन निर्माण करने के लिए भू परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति।
6. उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर के जनवरी 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मूवमेन्ट रजिस्टर पंजिका के पेजों की प्रमाणित।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने एक अन्य अपील संख्या 96/2025 मुकन्द सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर दायर की थी जिसमें भी अपीलार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसमें इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.11.2025 को निर्णय पारित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 18.11.2025 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए इस अपील का निर्णय भी पूर्व अपील की भांति किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:01 IST
Reason: SelfAttested